राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18/वि.जां./2024–25/ दिनांकः

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जोन(समस्त),
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(समस्त),
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी(समस्त),राजस्थान।

विषयः– विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत निकाली गयी वसूली राशि के संबंध में।

संदर्भः– दिनांक 30.04.2024 को निदेशालय के मीटिंग हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटि की बैठक में दिये गये निर्देशो के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों में वसूली से संबंधित अनुच्छेदों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी का व्यक्तिशः दायित्व है कि वे अविलम्ब संबंधित कार्मिक से वसूली कर अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवायें, परन्तु प्रायः देखा गया है कि कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी लम्बे समय तक कार्मिक के विरूद्ध राशि की वसूली नहीं करते हैं जिससे कार्मिक या तो सेवानिवृत हो जाता है या अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाता है इस प्रकार वसूलनीय राशि की वसूली नहीं हो पाती।

इस संबंध में पुनः सभी कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों में यदि वसूली के प्रकरण है तो कार्मिक की अविलम्ब वसूली कर अनुपालना प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी का व्यक्तिशः उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। कृपया आपके स्तर से आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस संबंध में सूचित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

Sd.

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18/वि.जां./2024–25/274 दिनांकः 08/5/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर

Letter Spical audit